365/5:40pm

संख्याः 23/3/XVII-3/2017-01(17)/2017

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 24 नवम्बर, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में "अल्पसंख्यक अधिकार दिवस" 'राजस्व' पक्ष में प्राविधानित धनराशि को व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1018/नि.अ.क./924 बजट मांग/2017–18, दिनांक 09.11.2017, वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610/3(150)XXVII(I)/2017, दिनांक 30.06.2017 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उक्त योजनान्तर्गत 'राजस्व' पक्ष में प्राविधानित धनराशि ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2017 में दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
7. उक्त योजनान्तर्गत प्रभावी टेण्डर प्रकिया का अनुपालन शतप्रतिशत सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी ध्यान में रखा जाय कि उक्त दिवस को मनाये जाने हेतु योजना के उद्देश्य/लक्ष्य सुनिश्चित करते हुए धनराशि का व्यय किया जाय।

(1)

8. निदेशालय स्तर से उक्त धनराशि के मदवार बिल एवं बाउचर का सत्यापन किया जायेगा। जिसके उपरान्त धनराशि का व्यय किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय अधिप्राप्ति नियमों के अनुसार व्यय किया गया है अथवा नहीं।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्ययक के 'राजस्व' पक्ष के लेखाशीर्षक 2250–अन्य सामाजिक सेवाऐं–800–अन्य व्यय–00–24–अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्याः183/XXVII-I/2012, दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संख्याः S17111501153 ,दिनांक 24 नवम्बर, 2017 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30.06.2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

संख्याः 2313 (1)/XVII-3/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।